FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0258 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/09/2026 17:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 10/07/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:46 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/09/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/09/2026 17:18:58 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 135 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** SARKARI AAWAS, POLICE THANA CHOTH KA BARWADA, SAWAIMADHOPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SARDAR GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ROOPNARAYAN GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1999 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GANESHGANJ, CHOTH KA BARWADA, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GANESHGANJ, CHOTH KA BARWADA, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHENDRA KUMAR SHARMA		पिता:GOPAL LAL SHARMA	1. NIDAR,MANDRAYAL,KARAULI,

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 08.07.2026 समय 12.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवादी श्री सरदार गुर्जर पुत्र श्री रूपनारायण गुर्जर निवासी गणेशगंज तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर ने उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि निवेदन है कि मै सरदार पुत्र श्री रूपनारायण गुर्जर निवासी गणेशगंज तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हु मै बजरी सप्लाई का काम करता हु। दिनांक 07.07.2026 को श्री महेन्द्र शर्मा एसएचओ चौथ का बरवाडा ने मेरा और मेरे मिलने वाले लोगो के चार ट्रेक्टर पकड लिये और छोडने के बदले में पैसे मांगे हमारे पास उस समय पैसे नही होने और हमारे द्वारा हाथजोडी करने पर हमारे ट्रेक्टर छोड दिये और पैसे बाद में देने के लिये कहा अब वह मेरे से, मेरे ट्रेक्टर व उनके ट्रेक्टर छोडने के बदले में एक लाख रूपये की मांग कर परेशान कर रहा है और मुझे सभी से पैसे इकटठे कर देने के लिये फोन करके बार-बार कह रहा है मै उसे एक लाख रूपये नही देकर रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हू। मेरी श्री महेन्द्र शर्मा एसएचओ चौथ के बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर कोई रंजिश नही है और ना ही कोई उधार लेन देन बाकी है परिवादी द्वारा स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग का पाये जाने पर रिश्वत मांग का नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मेरे द्वारा कार्यवाही शुरू की गई का अंकन कर प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज शामिल रनिंग नोट किया गया। परिवादी से पूछने पर परिवादी ने अपने पास एक मोबाइल नम्बर होना बताया तथा यह भी बताया कि अब तक मेरी एसएचओ से जो भी वार्ता हुई वह उनके व्हाटसअप मोबाइल नम्बर पर मेरे व्हाटसअप मोबाइल नम्बर से हुई है। समय 1.00 पीएम इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी में रखे डीवीआर मय सैनडिस्क 8 जीबी मैमोरी कार्ड को निकालकर परिवादी श्री सरदार गुर्जर को कार्यालय का डीवीआर दिखाकर उसको संचालन की विधि समझाई गई। कार्यालय में उपस्थित श्री प्रेमप्रकाश कानि. नं. 382 को बुलाकर परिवादी श्री सरदार गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में बताकर परिवादी श्री सरदार गुर्जर से परिचय करवाया गया तथा डीवीआर में नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 8 जीबी लगाकर उसको खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री सरदार गुर्जर को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की समझाईस की जाकर डीवीआर जरिये फर्द श्री प्रेमप्रकाश कानि. नं. 382 को सुपुर्द किया गया। कानि. को हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपी के पास भिजवाये जाने से पूर्व डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को चालू कर सुपुर्द कर भिजवाये तथा बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता होने पर परिवादी से प्राप्त कर बंद करने अपने पास सुरक्षित रखकर मय परिवादी के वापस कार्यालय उपस्थित आये। इसके बाद श्री प्रेमप्रकाश कानि. 382 को परिवादी श्री सरदार गुर्जर के निजी वाहन से परिवादी के साथ थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर समय 1.30 पीएम पर कार्यालय से रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डीवीआर मय मैमोरी कार्ड पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 4.00 पीएम पर श्री प्रेमप्रकाश कानि. ने जरिये दूरभाष मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै तथा परिवादी श्री सरदार गुर्जर आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना चौथ का बरवाडा के बाहर पंहुचे जहां मैने परिवादी को डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के चालू कर सुपुर्द किया जाकर पुलिस थाने के अन्दर रिश्वत की मांग सत्यापन वार्ता करने बाबत परिवादी श्री सरदार गुर्जर को रवाना किया था जो कुछ समय बाद मेरे पास आया जिससे मैने डिवीआर मय मैमोरी कार्ड के वापस अपनी सुपुर्दगी में लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी द्वारा मुझे बताया कि मै थाने पर श्री महेन्द्र शर्मा एसएचओ से मिलने गया और वहां उपस्थित स्टाफ से पूछा तो उपस्थित स्टाफ द्वारा मुझे श्री महेन्द्र शर्मा एसएचओ साहब का थाने से बाहर जाना बताया इस पर मै वहां से रवाना होकर वापस आपके पास आ गया। उक्त हालात कानि. द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताने पर परिवादी से वार्ता की गई तो परिवादी द्वारा कानि. द्वारा बतायी हुई बाते ही बतायी गयी एवं परिवादी द्वारा बताया कि साहब मै अभी आपके कार्यालय में वापस नही आ सकता हू आईन्दा मै रिश्वत की मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। इस पर कानि. को परिवादी को वहीं छोडकर मय डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के वापस कार्यालय आने की हिदायत दी गई। समय 8.00 पीएम पर श्री प्रेमप्रकाश कानि. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समक्ष उपस्थित आया और जरिये दूरभाष बताये गये हालात बताकर उसको सुपुर्द किया गया डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के वापस मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया जिसको चालूकर सुना गया तो डीवीआर में कानि. द्वारा परिवादी

सरदार गुर्जर को डीवीआर सुपुर्द करने संबंधी व अन्य असंबंधित वार्ता रिकार्ड होना पायी गयी, उक्त डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को बंद कर वापस कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा गया। फर्द वापसी डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के पृथक से मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही किया गया। दिनांक 09.07.2026 समय 1.15 पीएम पर परिवादी श्री सरदार गुर्जर ने जरिये दूरभाष वार्ता कर मन् अति.पु.अधीक्षक को बताया कि साहब आज श्री महेन्द्र शर्मा एसएचओ साहब थाने पर उपस्थित है और आज उनसे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता होने की पूर्ण संभावना है इसलिये आप आपके कार्यालय से कोई कार्मिक आपके विभाग का डीवीआर देकर भिजवा दो मै अभी आपके कार्यालय में उपस्थित आने में असमर्थ हू। इस पर श्री प्रेमप्रकाश कानि. 382 को अपने कक्ष में बुलाकर दिनांक 08.07.2026 को कानि. द्वारा वापस लाकर दिये गये डिवीआर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय अलमारी से निकालकर जरिये फर्द सुपुर्दगी के सुपुर्द किया जाकर कानि. को परिवादी श्री सरदार गुर्जर से सम्पर्क कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन नियमानुसार करवाकर डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के लाकर पेश करे कि हिदायत देकर कार्यालय से रवाना किया गया। समय 10.18 पीएम इस समय श्री प्रेमप्रकाश कानि. ने जरिये दूरभाष मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै कार्यालय से रवाना होकर कुस्तला, सवाई माधोपुर पहुचा जहॉ मैने परिवादी से जरिये दूरभाष वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मै अभी मेरे जरूरी काम में व्यस्त हॅू आप वही रहो जिसके बाद समय करीब 05ः30 पीएम पर परिवादी श्री सरदार गुर्जर मेरे पास आया। जिस पर हम दोनों वहॉ से रवाना होकर पुलिस थाना चौथ का बरवाडा के पास पहुचे। जहॉ पर परिवादी को डीवीआर मय मैमोरी कार्ड चालूकर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु भेजा तो परिवादी कुछ समय बाद मेरे पास आकर डीवीआर मय मैमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द किया जिसको मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा औेर परिवादी ने बताया कि एसएचओे साहब से बातचीत नही हो पाई है वो थाने से बाहर ही कही ड्यूटी पर है थाने पर आते ही मै पुनः रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा दूंगा। करीब एक डेढ घण्टे बाद मैने डीवीआर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग सत्यापन हेतु थाने के अन्दर भेज दिया था जो कुछ समय बाद मेरे पास आया जिससे मैने डीवीआर लेकर उसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा और परिवादी ने मुझे बताया कि मै थाने पर गया तो श्री महेन्द्र शर्मा एसएचओ साहब अपने क्वाटर पर मिले जिनके पास एक और व्यक्ति भी बैठा हुआ मिला जहॉ मैने दिनांक 07.07.2026 को मेरे टेक्टरो को छोडने से संबंधित बात की थी किन्तु उनके द्वारा मेरे से रिश्वत की स्पष्ट रूप से मांग नही की है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से वार्ता कर हिदायत दी की दिनांक 10.07.2026 को एसएचओ के पास एक बार और जाकर रिश्वत की मांग सत्यापन करवाये तथा कानि0 को हिदायत दी की परिवादी के हमराह रात्रि मुकीम रहकर दिनांक 10.07.2026 को पुनः परिवादी को आरोपी के पास भिजवाकर रिश्वत की मांग स्पष्ट सत्यापन करवाकर मय परिवादी परिवादी के वापस कार्यालय आवे। डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखे। समय 12ः46 पीएम इस समय श्री प्रेमप्रकाश कानि. ने जरिये दूरभाष मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै आपके निर्देशानुसार परिवादी के साथ उसके गॉव गणेश गंज में रात्रि मुकीम रहा। जिसके बाद आज वापस चौथ का बरवाडा थाने के पास पहुचकर परिवादी को पुनः रिश्वत की मांग सत्यापन हेतु मैने डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के चालूकर सुपुर्दकर एसएचओ श्री महेन्द्र शर्मा के पास भिजवाया था जो कुछ समय बाद मेरे पास आया जिससे मैने डीवीआर लेकर उसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा और परिवादी ने मुझे बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर एसएचओ के क्वाटर पर गया जहॉ एसएचओ साहब मुझे मिले जिनसे मैने मेरे व मेरे मिलने वालो के टेक्टर छोडने के संबंध में उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि को कम करवाने की कहने पर उनके द्वारा मेरे से 50 हजार रूपये रिश्वत लेने के लिये सहमत हुये है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने कानि0 श्री प्रेमप्रकाश द्वारा बताई गई बातों की ताईद की। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि0 प्रेम प्रकाश को मुनासिब हिदायत दी की डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखकर परिवादी को अपने हमराह लेकर कार्यालय में उपस्थित आवें। दिनांक 10.07.2026 समय 05ः30 पीएम इस समय कानि0 श्री प्रेमप्रकाश मय परिवादी श्री सरदार गुर्जर कार्यालय में उपस्थित आये, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में श्री रमेश चंद पुलिस निरीक्षक उपस्थित है। कानि0 श्री प्रेम प्रकाश ने अपने पास से डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर जरिये दुरभाष बताये हुये हालात बताये तत्पश्चात मेरे व श्री रमेश चन्द पुलिस निरीक्षक व कानि0 प्रेम प्रकाश की उपस्थित में परिवादी श्री सरदार गुर्जर द्वारा बताया कि आपसे हुई वार्तानुसार दिनांक 09.07.2026 को श्री प्रेम प्रकाश कानि0 मुझे कुस्तला कस्बे में मिला था जिस पर हम दोनों वहॉ से रवाना होकर पुलिस थाना चौथ का बरवाडा पहुचे, जहॉ मुझे आरोपी श्री महेन्द्र शर्मा एसएचओ साहब से रिश्वत की मांग सत्यापन वार्ता हेतु श्री प्रेम प्रकाश कानि0 ने मुझको डीवीआर चालुकर कर भिजवाया था किन्तु एसएचओ साहब मुझे कार्यालय में नही मिलने के कारण बिना वार्ता किये वापस आकर डीवीआर श्री प्रेम प्रकाश कानि0 को सुपुर्द किया जिन्होने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। करीब एक डेढ घण्टे बाद श्री प्रेम प्रकाश कानि ने डीवीआर चालू कर मुझको सुपुर्द कर रिश्वत की मांग सत्यापन हेतु थाने के अन्दर भेज दिया था जहॉ से रवाना होकर मै थाने पर गया तो श्री महेन्द्र शर्मा एसएचओ साहब अपने क्वाटर पर मिले जिनके पास एक और व्यक्ति भी बैठा हुआ मिला जहॉ मैने दिनांक 07.07.2026 को मेरे ट्रेक्टरो को छोडने से संबंधित बात की थी किन्तु उनके द्वारा मेरे से रिश्वत की स्पष्ट रूप से मांग नही की थी। ये सभी हालात प्रेम प्रकाश कानि0 व मैने आपको जरिये दुरभाष बता दिये थे। आपके निर्देशानुसार प्रेम प्रकाश मेरे साथ मेरे गांव में मुकीम रहा था जहॉ

से आज सुबह हम दोनों मेरे गांव से रवाना होकर चौथ का बरवाडा थाने के पास पहुचकर मुझको पुनः रिश्वत की मांग सत्यापन हेतु प्रेम प्रकाश कानि0 द्वारा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के चालूकर सुपुर्दकर एसएचओ श्री महेन्द्र शर्मा के पास भिजवाया था जहाँ से मै रवाना होकर एसएचओ के क्वाटर पर गया जहाँ एसएचओ साहब मुझे मिले जिनसे मैने मेरे व मेरे मिलने वालो के टेक्टर छोडने के संबंध में उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि को कम करवाने की कहने पर श्री महेन्द्र शर्मा एसएचओ द्वारा मेरे से 50 हजार रूपये रिश्वत लेने के लिये सहमत हुये है। तत्पश्चात हम दोनों आपके निर्देशानुसार वहाँ से रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित हुये। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डीवीआर को चालूकर सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी श्री सरदार गुर्जर से व उसके मिलने वालों के बजरी के टेक्टर जो दिनांक 07.07.2026 को एसएचओ श्री महेन्द्र शर्मा द्वारा पकडकर छोडे गये थे की एवज में व आईन्दा बेझिझक अपने बजरी के टेक्टरो को चलाने की एवज में श्री महेन्द्र शर्मा एसएचओ द्वारा 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया है। अब तक करवाई गई रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही मय रनिंग नोट मय परिवादी का प्रार्थना पत्र मय डीवीआर मय एसडी कार्ड जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु समस्त दस्तावेजात श्री रमेश चन्द पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किये गये। दिनांक 10.07.2026 समय 07◌ः00 पीएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री सरदार गुर्जर के अपने कार्यालय कक्ष में आया और परिवादी द्वारा दिनांक 08.07.2026 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा हस्तलिखित पेश किया गया है। चूकिं श्री ज्ञान सिंह चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया जा चुका है श्रीमान के निर्देशानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जानी है। इसलिये आरोपी श्री महेन्द्र शर्मा, थानाधिकारी थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि 50 हजार रूपये परिवादी को पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी द्वारा बताया कि अभी मेरे पैसे की व्यवस्था नही है मै कल दिनांक 11.07.2026 को आरोपी को दी जाने वाली 50 हजार रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था करके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया एवं एचएम श्री बनवारी लाल हैड कानि को ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वंतत्र गवाहान को दिनांक 11.07.2026 को 10◌ः00 एएम पर पाबन्द कर कार्यालय में उपस्थित करवाने हेतु कहा गया। डीवीआर मय एसडी कार्ड जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 11.07.2026 समय 10◌ः00 एएम इस समय परिवादी श्री सरदार गुर्जर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आया। जिससे आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में पुछा गया तो परिवादी द्वारा अपने पास होना बताया। परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। समय 10◌ः30 एएम इस समय पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आये जिनको अपना परिचय देकर उनसे उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम देशराज बैरवा पुत्र श्री चन्द्रलाल उम्र साल 34 जाति बैरवा निवासी अयोध्या नगर दौसा जिला दौसा हाल सहायक अभियंता पीएचईडी खण्ड-दौसा जिला, दौसा व दूसरे ने अपना नाम श्रीनारायण मीना पुत्र श्री पूनीराम मीना उम्र 41 साल जाति मीना निवासी ग्राम मांगाभाटा पोस्ट भांकरी तहसील दौसा जिला दौसा हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधिशाषी अभियंता पीएचईडी खण्ड -दौसा जिला दौसा होना बताया जिनसे गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमती चाही जाने पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी सहमती प्रदान की गई। दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय मेरे समक्ष पूर्व से बैठे परिवादी श्री सरदार गुर्जर से करवाकर परिवादी द्वारा दिनांक 08.07.2026 को पेश किये गये प्रार्थना पत्र को पढवाया जाकर उक्त प्रार्थना पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11◌ः00 एएम इस समय परिवादी श्री सरदार गुर्जर पुत्र श्री रूपनारायण गुर्जर निवासी गणेशगंज तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर व दोनो स्वतंत्र गवाहान देशराज बैरवा सहायक अभियंता व श्रीनारायण मीणा अति0 प्रशासनिक अधिकारी के सामने मन् पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी श्री सरदार गुर्जर व आरोपी श्री महेन्द्र शर्मा थानाधिकारी थाना चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर के मध्य दिनांक 09.07.2026 व 10.07.2026 को वर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता, जिसको परिवादी द्वारा सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 8 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को दिनांक 10.07.2026 को मेरे द्वारा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया था को आलमारी से निकालकर कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चालूकर सुना गया एंव उसमें रिकॉर्ड वार्ता की मेरे निर्देशन में शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट व पैनड्राईव श्री प्रेम प्रकाश कानि0 382 द्वारा तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता की परिवादी श्री सरदार गुर्जर द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री महेन्द्र शर्मा थानाधिकारी थाना चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के पेनड्राईव बनाने हेतु चार खाली ईवीएम 16 जीबी पेनड्राईव ट्रेप बॉक्स में से लिये जाकर चारो पैनड्राईव को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 8 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से चारो पैनड्राईव ईवीएम 16 जीबी में सेंड टू ऑप्शन से कॉपी तैयार की जाकर चारो पेनड्राईव को बारी-बारी से पुनः कार्यालय कम्प्युटर में लगाकर/जोडकर चलाकर सुना गया तो

मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की कॉपी हुबहू होना पायी गयी। इसके बाद तीन पैन ड्राईवों को उनके कवर में रखकर कवर सहित पेनड्राईवों को पृथक-पृथक सफेद कपडें की थैलीयों में रखकर कपडे की थैली पर मार्क A-1,A-2 (न्यायालय हेतु) व मार्क A-3 (आरोपी हेतु) अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा चौथे पेनड्राईव मार्क A-4 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात् उक्त वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 8 जीबी को सुरक्षित हालात मे यथावत वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसके कवर में रखकर उसको एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालत मे रखकर कपडे की थैली मार्क A अंकित कर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिवीआर में लगे एसडी मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्तालाप की जो पैनड्राईव बनाये गये है उनमें किसी प्रकार की छेडछाड व कांट छांट नही की गई है। जिसका विस्तृत वर्णन फर्द में अंकित है। मैमोरी कार्ड एवं पैन ड्राईव की हैश वैल्यू निकालकर उसका कम्प्युटर से प्रिंट निकालकर शामिल फर्द किया गया। सीलशुदा मैमोरी कार्ड व सभी पैन ड्राईव जमा मालखाना करवाये गये। दिनांक 11.07.2026 समय 01ः30 पीएम इस समय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज बैरवा सहायक अभियंता व श्रीनारायण मीणा अति0 प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री सरदार गुर्जर से आरोपी श्री महेन्द्र शर्मा थानाधिकारी थाना चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर को दी जाने वाली 50,000 रूपये की रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी श्री सरदार गुर्जर ने अपने पास से आरोपी श्री महेन्द्र शर्मा थानाधिकारी थाना चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000/-रू0 निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटों पर दोनो स्वतंत्र गवाहो के सामने श्रीमति पुनम महिला कानि0 84 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 50,000 रूपये के नोटों को पृथक-पृथक रखकर उन पर श्रीमति पुनम महिला कानि0 84 से अच्छी तरह से बारी-बारी से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सरदार गुर्जर की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री देशराज बैरवा से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं मिला। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त आरोपी श्री महेन्द्र शर्मा, एसएचओ पुलिस थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि 50,000/-रू. के नोट श्रीमति पुनम महिला कानि0 84 से परिवादी के पहने हुई पेंट की सामने की दायी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को तब तक नही छुयेगा जब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हे देवे। और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहंा रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का निर्धारित ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्रीमति पुनम महिला कानि0 84 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को फिनोप्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक क्रिया के बारें में बताया गया। इसके बाद उक्त डिस्पोजल गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया एंव डिस्पोजल गिलास को नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात पाउडर लगाने वाले श्रीमति पुनम महिला कानि0 84 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक एवं परिवादी, गवाहान एंव ट्रेप पार्टी के सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, चम्मच डिस्पोजेबल गिलास आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं मिली, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डीवीआर मय नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 8 जीबी लगाकर आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया तथा कानि0 प्रेमप्रकाश न. 382 को परिवादी श्री सरदार गुर्जर को आरोपी के पास रिश्वत राशि सहित भिजवाने से पहले लेनदेन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए डीवीआर चालू करने की हिदायत दी गई तथा फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डीवीआर पृथक से मुर्तिब की गई। दिनांक 11.07.2026 /समय 02ः00 पीएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक रमेश चन्द मय स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज बैरवा सहायक अभियंता व श्रीनारायण मीणा अति0 प्रशासनिक अधिकारी एवं स्टाफ सदस्य श्री दौलतराम हैड कानि न0 101, श्री बनवारी लाल हैड कानि0 116, श्री मुकेश कुमार कानि न0 101, श्री राकेश कुमार कानि0 70, श्री विक्रमसिह कानि0 23 दो प्राईवेट वाहनों से तथा परिवादी श्री सरदार गुर्जर व कानि0 प्रेमप्रकाश न. 382 को परिवादी के निजी वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अनुसंधान बॉक्स के एसीबी कार्यालय दौसा से कस्बा चौथ का बरवाडा जिला

सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुआ। रिश्वती राशि के फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाली श्रीमति पूनम महिला कानि0 84 को कार्यालय में ही छोडा गया। समय 09ः30 पीएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक रमेश चन्द मय स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज बैरवा सहायक अभियंता व श्रीनारायण मीणा अति0 प्रशासनिक अधिकारी एवं स्टाफ सदस्य श्री दौलतराम हैड कानि न0 101, श्री बनवारी लाल हैड कानि0 116, श्री मुकेश कुमार कानि न0 101, श्री राकेश कुमार कानि0 70, श्री विक्रमसिह कानि0 23 दो प्राईवेट वाहनों से तथा परिवादी श्री सरदार गुर्जर व कानि0 प्रेमप्रकाश न. 382 परिवादी के निजी वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अनुसंधान बॉक्स के एसीबी कार्यालय से रवाना होकर कस्बा चौथ का बरवाडा पहुंचे जहाँ से बाद कार्यवाही परिवादी श्री सरदार गुर्जर से उसकी जेब में रखवाई गई रिश्वत राशि 50 हजार रूपये वापस प्राप्त कर एक लिफाफे में अपने पास रखा गया एवं डीवीआर को परिवादी से प्राप्त कर अपने पास रखा गया तथा परिवादी श्री सरदार गुर्जर को मुनासिब हिदायत देकर कस्बा चौथ का बरवाडा ही छोडकर, चौथ का बरवाडा से रवाना होकर समय 09ः30 पीएम पर हाजिर कार्यालय आये। हालात इस प्रकार रहे कि आज दिनांक 11.07.2026 को समय 02ः00 पीएम पर मय हमराहीयान के एसीबी कार्यालय दौसा से रवाना होकर मन् पुलिस निरीक्षक समय 04ः30 पीएम पर कस्बा चौथ का बरवाडा, पुलिस थाना चौथ का बरवाडा के पास पहुचे। जहॉ पर वाहनों को रोड के एक तरफ खडा करवाकर परिवादी श्री सरदार गुर्जर से आरोपी श्री महेन्द्र शर्मा एसएचओं, पुलिस थाना चौथ का बरवाडा की थाने पर उपस्थिति बाबत मालूमात करने के लिये कहा तो परिवादी ने गोपनीय रूप से मालूमात कर मन् पुलिस निरीक्षक को एसएचओ साहब का थाने पर उपस्थित होना नही बताया। करीब दो-तीन घण्टे तक एसएचओ साहब का थाने पर आने का इंतजार करने के उपरान्त भी एसएचओ साहब के थाने पर उपस्थित नही होने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन नही हो पाया इसलिये परिवादी श्री सरदार गुर्जर को अपने घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण वापस एसीबी चौकी नही आने से परिवादी के पास रखवाई गई फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 50 हजार रूपये वापस प्राप्त कर एक लिफाफे में अपने पास रखा गया एवं डीवीआर मय मैमोरी को परिवादी से प्राप्त कर अपने पास रखा गया तथा परिवादी श्री सरदार गुर्जर को मुनासिब हिदायत देकर कस्बा चौथ का बरवाडा ही छोडकर, मय हमराहीयान स्वंतत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों तथा ट्रेप बॉक्स व साजो सामान सहित दोनों प्राईवेट वाहनो से कस्बा चौथ का बरवाडा से कार्यालय के लिये रवाना होकर समय करीब 09ः30 पीएम पर पहंुचा। कार्यालय पहंुचकर ट्रेप कार्यवाही हेतु हमराह ले जाये गये समस्त सरकारी सामान को कार्यालय में रखवाया गया। चूकिं आज दिनांक 11.07.2026 को आरोपी थाने पर उपस्थित नही होने के कारण ट्रेप कार्यवाही का आयोजन नही हो सका। परिवादी से प्राप्त डीवीआर मय मैमोरी कार्ड व 50 हजार रूपये फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि को लिफाफे सहित मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षा दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखा गया। आईन्दा परिवादी की सूचना पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। दिनांक 11.07.2026 समय 10ः00 पीएम इस समय स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज बैरवा सहायक अभियंता व श्रीनारायण मीणा अति0 प्रशासनिक अधिकारी को मुनासिब हिदायत देकर कार्यालय से अपने अपने मस्कन के लिये रवाना किया गया। दिनांक 12.07.2026 /समय 06ः00 एएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री सरदार गुर्जर ने जरिये दूरभाष अवगत कराया कि साहब आज श्री महेन्द्र शर्मा, एसएचओ पुलिस थाना चौथ का बरवाडा थाने पर उपस्थित है। इसलिये आप ट्रेप टीम लेकर आ जाओ, मै आपको कस्बा चौथ का बरवाडा में ही मिल जाउंगा। दिनांक 12.07.2026/समय 06ः15 एएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी दौसा को जरिये दूरभाष परिवादी श्री सरदार गुर्जर द्वारा दी गई सूचना बाबत बताया गया तो श्रीमान द्वारा नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा एचएम को स्वतत्रं गवाहान एवं स्टाफ सदस्यों को 08ः00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने बाबत आदेश प्रदान किये गये। दिनांक 12.07.2026/समय 08ः00 एएम इस समय पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज बैरवा हाल सहायक अभियंता पीएचईडी खण्ड-दौसा जिला, दौसा एवं श्रीनारायण मीना हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधिशाषी अभियंता पीएचईडी खण्ड -दौसा जिला दौसा मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। दिनांक 12.07.2026 समय 08ः30 एएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक रमेश चन्द द्वारा दिनांक 11.07.2026 को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षार्थ लिफाफे सहित रखवाई गई फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 50 हजार रूपये रिश्वत राशि को आलमारी से निकालकर उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान से दिनांक 11.07.2026 को मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरो से मिलान करवाये गया तो उक्त नोट मुताबिक फर्द अनुसार ही पाये गये जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने स्वंय के पास रख लिये व डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को भी अपने पास रख लिया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज बैरवा सहायक अभियंता व श्रीनारायण मीणा अति0 प्रशासनिक अधिकारी एवं स्टाफ सदस्य श्री दौलतराम हैड कानि न0 101, श्री बनवारी लाल हैड कानि0 116, श्री मुकेश कुमार कानि न0 101, श्री राकेश कुमार कानि0 70, श्री विक्रमसिह कानि0 23, श्री प्रेम प्रकाश कानि0 382 ने अपने-अपने हाथ साबुन व पानी से धोकर दो प्राईवेट वाहनों से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अनुसंधान बॉक्स के एसीबी कार्यालय दौसा से कस्बा चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुआ। दिनांक 12.07.2026 समय 03ः30 पीएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक रमेश चन्द मय स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज बैरवा सहायक अभियंता व श्रीनारायण मीणा अति0

प्रशासनिक अधिकारी एवं स्टाफ सदस्य श्री दौलतराम हैड कानि न0 101, श्री बनवारी लाल हैड कानि0 116, श्री मुकेश कुमार कानि न0 101, श्री राकेश कुमार कानि0 70, श्री विक्रमसिह कानि0 23, श्री प्रेम प्रकाश कानि0 382 दो प्राईवेट वाहनों से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अनुसंधान बॉक्स के एसीबी कार्यालय से रवाना होकर कस्बा चौथ का बरवाडा पहुंचे, जहाँ परिवादी श्री सरदार गुर्जर उपस्थित मिला परिवादी श्री सरदार गुर्जर से आरोपी श्री महेन्द्र शर्मा एसएचओं, पुलिस थाना चौथ का बरवाडा की थाने पर उपस्थिति बाबत मालूमात करने के लिये कहा तो परिवादी ने गोपनीय रूप से मालूमात कर बताया कि एसएचओ साहब थाने पर उपस्थित नही है। इस पर एसएचओ साहब का थाने पर आने का इंतजार करने के उपरान्त भी एसएचओ साहब के थाने पर उपस्थित नही होने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन नही हो पाया इसलिये परिवादी श्री सरदार गुर्जर को अपने घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण परिवादी श्री सरदार गुर्जर को मुनासिब हिदायत देकर कस्बा चौथ का बरवाडा ही छोडकर, मय हमराहीयान स्वंतत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों तथा ट्रेप बॉक्स व साजो सामान सहित दोनों प्राईवेट वाहनो से कस्बा चौथ का बरवाडा से कार्यालय के लिये रवाना होकर समय करीब 3.30 पीएम पर पहंुचा। कार्यालय पहंुचकर ट्रेप कार्यवाही हेतु हमराह ले जाये गये समस्त सरकारी सामान को कार्यालय में रखवाया गया। चूकिं आज दिनांक 12.07.2026 को आरोपी थाने पर उपस्थित नही होने के कारण ट्रेप कार्यवाही का आयोजन नही हो सका। डीवीआर मय मैमोरी कार्ड व 50 हजार रूपये फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि को लिफाफे सहित मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षा दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखा गया। समय 04ः00 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज बैरवा सहायक अभियंता व श्रीनारायण मीणा अति0 प्रशासनिक अधिकारी को मुनासिब हिदायत देकर कार्यालय से अपने अपने मस्कन के लिये रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 22.07.2026 समय 1.30 पीएम पर परिवादी श्री सरदार गुर्जर अजखुद एसीबी कार्यालय दौसा पर उपस्थित आया, जिसके द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि, मैने दिनांक 08.07.2026 को एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर महेन्द्र शर्मा थानाधिकारी पुलिस थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करवाने का निवेदन किया था, जिस पर आप द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर, दौराने कार्यवाही रिश्वत में दिये जाने हेतु मुझसे 50 हजार रूपये जरिये फर्द पेशकशी के प्राप्त किये थे। आप द्वारा नियमानुसार की गई कार्यवाही के दौरान श्री महेन्द्र शर्मा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर ने मुझ पर शक होने की वजह से रिश्वत राशि नही ली थी और दिनांक 13.07.2026 को पुलिस थाना चौथ का बरवाडा पर अन्य अधिकारी का पदस्थापन हो गया है जिससे श्री महेन्द्र शर्मा वहां से अन्यत्र चले गये। अब मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ट्रेप कार्यवाही होना संम्भव नही है। अतः आप मेरे द्वारा दौराने फर्द पेशकशी पेश की गई रिश्वत में दिये जाने वाले 50 हजार रूपये मुझे लौटाने की कृपा करें। पूछताछ पर परिवादी श्री सरदार गुर्जर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की। उक्त प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद परिवादी श्री सरदार गुर्जर द्वारा दिनांक 11.07.2026 को फर्द पेशकशी के दौरान पेश की गई 50 हजार रूपये की राशि जो सुरक्षार्थ कार्यालय आलमारी में रखी है को निकालकर उन पर से फिनोफ्थलीन पाउडर को अच्छी तरह हटाकर परिवादी श्री सरदार गुर्जर को सुपुर्द किये गये। परिवादी श्री सरदार गुर्जर को हिदायत मुनासिब कर कार्यालय से रूख्सत किया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से परिवादी श्री सरदार गुर्जर पुत्र श्री रूपनारायण गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 27 वर्ष निवासी गणेशगंज तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 08.07.2026 को पेश लिखित प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये दिनांक 09.07.2026 व दिनांक 10.07.2026 को नियमानुसार रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया जाने पर आरोपी श्री महेन्द्र शर्मा पु.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर द्वारा अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री सरदार गुर्जर से व उसके मिलने वालों के 4 ट्रेक्टरों को छोडने के बदले दिनांक 07.07.2026 को एसएचओ श्री महेन्द्र शर्मा द्वारा मौके पर एक लाख रूपये मांग कर सहमत होकर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर लेने हेतु सहमत होना स्पष्ट रूप से पाया जाने से आरोपी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा उम्र 39 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम व पोस्ट नींदर तहसील मण्डरायल, जिला करौली तत्कालीन पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर हाल थानाधिकारी थाना बाडी जिला धौलपुर के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर ब्यूरो मुख्यालय की सेवामें सादर प्रेषित है।(रमेश चंद) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा..... कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रमेश चंद, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, दौसा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा उम्र 39 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम व पोस्ट नींदर तहसील मण्डरायल, जिला करौली तत्कालीन पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर हाल थानाधिकारी थाना बाडी जिला धौलपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 144 पर अंकित है। (गोरधन लाल

सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1488-91 दिनांक 10.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Subhash Meel **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/09/2026 17:30:39

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)